

डा० राममनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

संख्या : ल००५००५०/ सम्ब०/ २०२०/ १३५

दिनांक : ३०/०५/ २०२०

सेवा गे.

१. प्र०० निशा पाण्डेय, विभाग -अंग्रेजी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
२. डॉ० हेमन्त सिंह, विभाग-समाजशास्त्र, जवाहर लाल कालेज, बाराबंकी।
३. डॉ० शफाली सिंह, प्राचार्या, राजकीय डिग्री कालेज, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर।

- आचार्य
- विशेषज्ञ सदस्य
- सदस्य/ सचिव

विषय- हौसिला प्रसाद सिंह स्मारक महिला महाविद्यालय, शरीफपुर, गोविन्दपुर, गोसाईगंज, सुलतानपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०४० पाठ्यक्रम में हिन्दी अंग्रेजी उर्दू यूर्दियान, शिक्षाशास्त्र भूगोल एवं समाजशास्त्र विषयों में स्वविल्पित योजना के अन्तर्गत सत्र २०२०-२१ से सम्बद्धता (स्थाइ) प्रदान करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

महोदय/ महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेपित प्रस्ताव के अनुरोधानुसार वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित करने की कृपा की है।

अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी सूच्य है कि निरीक्षक मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल के सदस्य महाविद्यालय के सम्पूर्ण निर्मित भवन के साथ अपनी फोटो खिचवायेंगे, जिसे हस्ताक्षर सहित निरीक्षण आख्या में संलग्न किया जायेगा। सम्पूर्ण निरीक्षण की निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के साथ वीडियोफोनी करायी जायें, जिसमें महाविद्यालय का पूर्ण भवन बहारदीवारी, गेट, शिक्षण कक्षों, प्रयोगशाला कक्षों (उपकरणों सहित) अनुग्रहित शिक्षकों एवं मानकानुसार वाचित अन्य अवस्थापना सुविधाओं की रिकार्डिंग सम्मिलित हों तथा निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ सम्पूर्ण निरीक्षण की दो सी०५०० भी प्रेषित की जाय। (सूर्योरत के पश्चात किसी भी दशा में निरीक्षण कार्य न किया जाए)

निम्न विन्दुओं पर निरीक्षक मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है—

१. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति के पंजीकरण एवं वैधता की तिथि।
 २. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से संबंधित खतानी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार/उपजिलाधिकारी से प्रमाणित होने की रिति।
 ३. महाविद्यालय की भूमि के समर्त गाटों का संयुक्तता प्रमाण पत्र साक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी नवशा मूलरूप में सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होने की रिति, महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि का विवरण गाटाओं एवं क्षेत्रफल सहित अंकित किया जाए।
 ४. महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापति प्रदान किये जाने के आदेश संख्या एवं तिथि, अंकित की जाए तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापति जिसमें गाटों का उल्लेख किया गया है, वया उसी गाटाओं पर महाविद्यालय निर्मित है अथवा नहीं।
 ५. महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत ने अवरिधत होने की रिति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की रिति।
 ६. सौसाथी/ट्रस्ट की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तथा सरथा की विगत तीन वर्षों की सी०५० द्वारा प्रमाणित बैलेस सीट अन्यथा की रिति में तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
 ७. मानकानुसार सौसाथी/महाविद्यालय के बचत खाते में अद्यतन जमा धनराशि।
 ८. मानकानुसार प्रामूख धनराशि जमा होने की रिति।
 ९. प्रबन्ध तत्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/प्रयिक्तियां तथ्यों पर आधारित एवं सही है का ५० रुपये के स्टाम्प ऐपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की रिति।
 १०. स्नातकोत्तर विषयों हेतु सी०५० सी०५० की धारा २५ में पंजीकृत होने की रिति।
 ११. महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की रिति तथा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल।
 १२. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की रपट रिति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
 - f) महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अंकित की जाए।
 - g) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा बहारदीवारी आदि के निर्मित होने की रिति।
 - h) कर्नीवर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की रिति।
 - i) प्रायोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की रिति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं, स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयत्र होने की रिति (प्रयोगशाला की संख्या सहित) मानकानुसार जल निकास व्यवस्था, गैस लाइन, सिंक इत्यादि होने की स्पष्ट आख्या।
 - j) मानकानुसार शिक्षकों के विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति की संविदा अवधि।
१३. पाचितपाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की रपट रिति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहित—
 - f) महाविद्यालय में याचित पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों हेतु मानकानुसार व्याख्यान कक्ष/कक्षों की संख्या—संख्या अंकित की जाए।
 - g) महाविद्यालय में मानकानुसार पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र-छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्ष, शौचालयों, पेयजल तथा बहारदीवारी आदि के निर्मित होने की रिति।
 - h) कर्नीवर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की रिति।

१३०५००५०



डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

उल्लेखनीय है कि समयान्तर्मत निरीक्षण का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्यों एवं समयान्तर्मत निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने का दायित्व निरीक्षण मण्डल के सदस्य/सचिव (क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी अथवा नागरिक क्षेत्र के राजकीय गहविद्यालय के प्राचार्य) का है। निरीक्षक मण्डल/सदस्य द्वारा उक्त निर्देशों का पालन न करने की दशा में शारानादेश संख्या 968/सत्तर-6-2016-100(18)/2016 दिनांक 12 मई 2016 के निर्देशनसार निरीक्षक मण्डल/सदस्य पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

के निरीक्षण सुनार अवधारक न-७०१) तरफ से जिसका उल्लेख किया गया है। यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के समस्त व्यय जिसमें टी०१००/ डी०१०० एवं अन्य व्यय सम्मिलित हैं का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल इस आशय का भी एक प्रभाग पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षक मण्डल के किसी सदस्य/ सदस्यों द्वारा गहनविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से अमान्य/नियमों के विपरीत कोई धनराशि नहीं ली गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या (निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/अभिलेख संलग्न कर) क्षेत्रीय उच्च शिक्षाविकारी/राजकीय महाविद्यालय के प्राचर्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नोट—उत्तिलिखित विन्दु संख्या 12 एवं 13 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल के द्वारा गमीरता से निरीक्षण कर पृथक-पृथक प्रविष्टि स्पष्ट रूप से रखयं अकिञ्चनीय हो जाये।

कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव सम्बंधी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/एडवाइजरी का पूर्णतः पालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण सम्पन्न किया जाएगा। यह निरीक्षण कोविड-19 के दृष्टिगत शासन/जिला प्रशासन के आवायमन शर्तों व अन्य प्रतिवर्त्यों के अधीन होगा।

भवदीय,

- प्रतिलिपि-1.** प्रबन्धक / सचिव (हौसिला प्रसाद सिंह स्मारक गहिला महाविद्यालय ,सरीकपुर गोविन्दपुर, गोसाईगंज, सुलतानपुर) को इस आशय से प्रेषित है कि कृप्या निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सम्बन्ध स्थापित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निरीक्षण मण्डल को निरीक्षण में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में रास्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य सन्दर्भित सूचना तिथि सहित 03 कार्य दिवसों की अवधि में विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोविड-19 से बचाव सम्बन्धी शासन की एडवाइजरी का अनुपालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाएगी।

2. प्रोग्रामर, ई-टी-पी-० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उपत्र प्रति महाविद्यालय के लॉग-इन पर अपलोड करने का कष्ट करें।

उप-कूलाचिव